रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 338] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 18, 1991/भाद्र 27, 1913
No. 338] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 18, 1991/BHADRA 27, 1913

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय
(पत्तन कक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1991

सा.का.नि. 593 (अ) :— केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुंबई पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिये गये मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारियों का शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ति और शिशु शिक्षा भत्ता प्रदान के नियम (संशोधित) 1991 का अनुमोदन करती है ।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

[फा.सं. पी आर-12015/4/91-पी.ई. I]

अशोक जोशी, संयुक्त सचिव

अनुसूची

भाग-1 शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति से संबंधित नियम

वर्तमान नियम संख्या 1, 4 से 7, 15, 16 और 17 को निकालकर उसके स्थान पर निम्न रखा दें ।

नियम संख्या	विवरण
1	इन नियमों को शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति नियम 1991 (संशोधित) कहा जाये ।
4	उपरोक्त नियम संख्या 2 में वर्णित कर्मचारियों को छोड़कर सभी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी उनकी वेतन सीमा न देखते हुये उपरोक्त अनुदान के लिये पात्र रहेंगे ।
5	जहां पति पत्नी दोनों पोर्ट ट्रस्ट में नौकरी कर रहे हों तो किसी एक को ही यह अनुदान प्राप्त होगा । यदि किसी कर्मचारी को पत्नी को उसके नियोक्ता से बच्चों की शिक्षा संबंधी कुछ मदद मिलती हो तो कर्मचारी को तदनुरूप कम राशि प्राप्त होगी । मुं.पो.ट्र. की शिशु शिक्षा भत्ते की योजना के अन्तर्गत जो कर्मचारी अनुदान प्राप्त कर रहे हों उन्हें उन्हीं बच्चा/बच्चे के लिए शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की सुविधा प्राप्त नहीं होगी ।

6 कर्मचारी द्वारा वास्तविक रूप मे अपने बच्चों के लिए जो शिक्षा शुल्क भरी गयी हो उन्हें निम्न लिखित सीमा के तक प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी ।

कक्षा 1 से 7 तक	20 रुपये प्रति माह प्रति शिशु
कक्षा 11 और 12	25 रुपये प्रति माह प्रति शिशु

शारीरिक और मानसिक विकलांग बच्चों के लिये सीमा प्रतिमाह 50 रुपये की रहेगी ।

शिक्षा शुल्क में निम्न शामिल है –

(अ) विज्ञान शुल्क या प्रयोगशाला शुल्क (यदि विज्ञान शुल्क अलग से न ली जाये तब)

(ब) कृषि के चयन किया हुआ अतिरिक्त विषय मानकर विशेष शुल्क लिया जाये ।

(क) संगीत जैसा विषय जिसे नियमित पाठ्यक्रम का एक अंश समझकर सिखाया जाये या ऐसा कोई विषय जिसमे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता हो उसके लिए लिया गया शुल्क

शिक्षा शुल्क मे निम्न शामिल नही हैं :–

(अ) गृहविज्ञान विधि प्रभार

(ब) पुस्तकालय शुल्क

(क) खेल कूद शुल्क

(ड) प्रवेश शुल्क तथा

(ई) अन्य प्रतियोगिता क्रियाकलाप शुल्क ।

विज्ञान के विद्यार्थी को लगाये शुल्क अन्य विषयों के विद्यार्थी के शुल्क से ज्यादा होता है लेकिन यदि उसे अलग मे लगाया जाये तो उसकी प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।

पॉलिटेकनीक और युनीवर्सीटी

युनिवर्सीटी द्वारा संचालित कॉलिज द्वारा निश्चित की शिक्षा शुल्क या निम्न वर्गों के लिए युनिवर्सिटी से संबंधित कॉलिजों की शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी लेकिन सरकारी कालेजों द्वारा निम्न पत्राचार वर्गो के लिये निर्धारित दरों में कुछ रोक लगायी जायेगी ।

(अ) प्री-युनिवर्सीटी

(ब) इन्टरमीडियेट कॉलिज का प्रथम वर्ष वर्ग

(क) तकनीकी कॉलिज का प्रथम वर्ष वर्ग

(ड) पॉलिटेकनीक का प्रथम वर्ष वर्ग

(इ) पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष वर्ग

द्वि-वार्षिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम

जहां शिक्षा के संशोधित ढांचे (पॅटर्न) के अंतर्गत पॉलिटेकनीक के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं कक्षा है, पॉलिटेकनीक के द्वी-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम और द्वितीय वर्ष में अभ्यास कर रहे विद्यार्थी को शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति देय होगी ।

विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रबंध

शारीरीक और मानसिक विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी, बशर्ते कि जो संस्था में बच्चा शिक्षा प्राप्त कर रहा है वह संस्था केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार द्वारा मान्यता/अनुमोदित/सहायता प्राप्त हो । यदि उपरोक्त संस्था मान्यता-प्राप्त हो लेकिन उसके द्वारा लगायी गयी शुल्क सरकारी मान्यता-प्राप्त नहीं है तो शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति की महत्तम राशि 50 रुपये तक मिलेगी ।

टिप्पणी : उपरोक्त सुविधा उस कर्मचारी के सिर्फ दो बच्चों को ही एक साथ बार ही प्राप्त होगी ।

नियम संख्या	विवरण
7	जिन बच्चों की आयु 5 से 20 वर्ष के बीच में होगी सिर्फ उन्हें ही उपरोक्त सुविधा प्राप्त होगी । यदि कोई बच्चा 20 वर्ष की उम्र अपने शैक्षणिक सत्र के मध्य मे ही पूर्ण कर लेता है तो उपरोक्त भत्ता/सहाय शैक्षणिक सत्र पूर्ण होने तक मिलती रहेगी ।
15	कर्मचारी को शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति निर्धारित प्रपत्र द्वारा करनी चाहिए जो इन नियमों के साथ लगाये अनुलग्नक में दर्शाया गया है, कर्मचारी वर्ष में दो बार जुलाई और जनवरी में उपरोक्त सुविधा ले सकता है ।
16	प्रारंभिक स्वीकृति के समय स्कूल द्वारा दी गयी रोकड़ रसीद या यदि शिक्षा शुल्क बैंक द्वारा भरी गयी हो तो बैंक जमा वाउचर का प्रतिपत्रक कर्मचारी द्वारा सबूत के रूप मे पर्याप्त होगा । लेकिन तदनंतर कर्मचारी ने उक्त राशि भरने की दी हुई घोषणा ही स्वीकृति के लिये पर्याप्त मानी जायेगी । कर्मचारी को अपना/अपने बच्चा/बच्चे मान्यता प्राप्त स्कूल मे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनकी शिक्षा शुल्क वास्तविक रूप मे भरी जा रही है यह प्रमाणित करना होगा ।
17	उपरोक्त सत्यापित करने की पद्धति और दावों के भुगतान आदि वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

भाग-2 : शिशु शिक्षा भत्ते की मंजूरी के नियम

वर्तमान नियम संख्यां 1 से 4, 6, 8, 10 और 20 को निकालकर उसके स्थान पर निम्न नियमों को डाला जाये ।

नियम संख्या	विवरण
1	इन नियमों को शिशु शिक्षा भत्ते (संशोधित) 1991 की मंजूरी समझा जाये । वे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू माने जायेंगे ।
2	अनियत, अंशकालिक और अनुबंध कर्मचारी और प्रशिक्षु को छोड़कर स्थायी और अस्थायी कर्मचारी जिनकी अविरत सेवा तीन वर्ष से कम नहीं वे सभी निम्न शर्तों के अधीन उपरोक्त भत्ते प्राप्त करने योग्य है ।
3	उपरोक्त नियम-2 मे दर्शाये कर्मचारियों को छोड़कर सभी मु.पो.ट्र. कर्मचारी जिनका वेतन कुछ भी हो इस सुविधा को प्राप्त करने योग्य हैं ।
4	वो कर्मचारी जो नौकरी में हो या निलंबित किये गये हो या छुट्टी पर हों या वार्धक्य निवृत्ति की वय तक पहुंचने के लिए निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर हों तो भी उन सभी कर्मचारियों को उपरोक्त भत्ते के लिये पात्र रहेंगे । लेकिन मृत, निवृत्त या सेवा-मुक्त और नियम 7 में दर्शाये कर्मचारियों को उपरोक्त भत्ता प्राप्त नहीं होगा ।
7	यदि पति पत्नि दोनों मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में सेवारत हों तो किसी एक को ही उपरोक्त भत्ता देय होगा ।
8	कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक शिशु को 50 रुपये प्रतिमाह के दर से उपरोक्त भत्ता देय होगा । टिप्पणी : कर्मचारियों को ये भत्ता एक साथ एक बार केवल दो बच्चों के बारे में ही मिल सकता है ।
10	जिन बच्चों की आयु 5 से 20 वर्ष के बीच में होगी सिर्फ उन्हीं को यह भत्ता प्राप्त होगा, लेकिन जो बच्चा अपनो शैक्षणिक सत्र के मध्य में ही 20 वर्ष पूर्ण कर लेता है तो उन्हें शैक्षणिक सत्र पूर्ण करने तक उक्त भत्ता देय होगा ।
20	उपरोक्त के सदर्भ में दावा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन और वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये विनमानुसार ही भत्ता देय होगा ।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 1991

G.S.R 593(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 124, read with sub-section (i) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Bombay Port Trust Employees Rules for Reimbursement of Tuition Fees Allowances (Amendment), 1991 made by the Board and Rules for the grant of Children's Education of Trustees of the Port of Bombay and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication in the official gazette.

[No. PR-12015|4|91-PE.I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

SCHEDULE

Part I—Rules relating to Reimbursement of Tuition Fees

Delete existing Rules Nos 1, 4 to 7, 16 and 17 and substitute the following therefor.

RULE NO.	Description
1.	These Rules may be called the Rules for Reimbursement of Tuition Fees (Amendment) 1991.
4.	All BPT employees except as indicated in Rule No. 2 above without any pay limit are eligible for the concession.
5.	Where both husband and wife are in Port Trust service, the concession shall be admissible only to one of them. If an employee's spouse employed elsewhere is entitled to any assistance from the employer in respect of their children's education, the concession to the employee shall be correspondingly reduced. An employee in receipt of Children's Educational Allowance under the Bombay Port Trust Scheme shall not be entitled to reimbursement of tuition fees in respect of the same child|children.
6.	Tuition fees limited to the fees actually paid by he employees on behalf of their children will be reimbursed subject to the following limits : Class I to X —Rs. 20 per cent per child Class XI and XII —Rs. 25 per month per child For Physically Handicapped and mentally retarded children the amount will be Rs 50 per mensem per child.

Tuition fees include—

(a) Science fee or laboratory fee in case science fee is not seperately charged ;

(b) Special fee charged for agriculture as an elective additional subject ;

(c) Any fee charged for subjects like music which are taught as a part of the regular curriculum or subject requiring practical work under the programme of work experience.

Tuition fees do not include—

(a) Domestic science fund charges;

(b) Library fee;

(c) Games fee;

(d) Admission fee; and

(e) Extra curricular activity fees.

If tuition fees charges for a science student is higher than that charged for a non-science student, science fee, though separately charged, shall not be reimbursed.

Polytechnic and University ;

The tuition fees charged by a college run by a University or affiliated to University for the following classes will be reimbursed but reimbursement will be restricted to the rates prescribed by Govt. Colleges for corresponding classes :

(a) Pre-University;

(b) First year class of an Intermediate Colleges;

(c) First year class of a Technical College;

(d) First year class of a Polytechnics;

(e) Firest class of a correspondence course.

Two year diploma course—

The reimbursement of tuition fees will be admissible for the 1st and 2nd year classes of a two year diploma course in Polytechnics in cases where the minimum qualification for admission to the course is X Standard of the revised pattern of education.

Special provision for handicapped children —

In the case of Physically Handicapped and mentally retarded children, tution fees will be reimbursed if the institution in which the child is studying is one which is recognised or approved or aided by the Central or State Government or Union Territory Administration. If the institution is approved|recognised|aided but the fees charged are not approved by the Government, the fee reimbruseable will be subject to a maximum of Rs. 50 p.m.

Note : The concession will be admissible to an employee in respect of not more than two children at any time.

7	Admissible only in respect of children between the age limits of 5 and 20 years. If child completes 20 years half way

through th e academic session the allowance is admissible till the end of the academic session.

15 Employee should claim the reimbursement in the prescribed form, shown in the Annexure to these Rules, twice in a year, i.e., in the months of July and January every year.

16 At the time of accepting initial claim, production of the cash receipt given by the School or counterfoil of the Bank Credit Voucher, if the tuition fee is paid through Bank, by the employee as proof of having actually paid the *tuition* fee, will be sufficient. For subsequent occasions, a declaration from the employee to the effect that he|she continues to incur the expenditure of tuition fee, etc. should be accepted. The employee may also be asked to certify that his|her child|children is|are actually studying in the recognised school and that he|she is actually incurring expenditure on tuition fee.

17 The procedure for the verification and payment of claims shall be such as may prescribed by the Financial Adviser & Chief Accounts Officer.

Part II—Rules for the grant of Children's Educational Allowance

Delete existing Rules Nos. 1 to 4, 6, 8, 10 and 20 and substitute the following therefor.

Rule No. Description

1 These Rules may be called the Rules for the grant of Children's Educational Allowance (Amendment) 1991. They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2 All permanent employees and temporary employees having not less than three years continuous service other than casual, part time and contract employees and apprentices shall be eligible for the allowance subject to the condition specified in the following Rules.

3 All BPT employees except as indicated in Rule No. 2 above without any pay limit are eligible for this concession.

4 The allowance shall be payable to an employee on duty, under suspension or on leave, including leave preparatory to retirement taken prior to attaining the age of superannuation. The allowance shall not be admissible in the case of a deceased, retired or discharged employee except as provided in Rule 7 below.

7 Where both husband and wife are employed in the Bombay Port Trust, the allowance shall be admissible only to one of them.

8 The allowance shall be payable at a rate of Rs. 50 p.m. per child for classes I to XII.

Note : The concession will be admissible to an employee in respect of not more than two children at any time.

10 The allowance shall be payable only in respect of children between the age limits of 5 and 20 years. If a child completes 20 years half way through the academic session, the allowance is admissible till the end of the academic session.

20 Subject to production of the claim certificate referred to above, the allowance shal be paid according to such procedure as may be prescribed by the Financial Adviser & Chief Accounts Officer for the purpose.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 1991